@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 21.02.2021

थाना खुटार पुलिस को मिली बड़ी सफलता

शातिर जालसाज महिला को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार तथा अन्य तीन शातिर चोरों को चोरी की योजना बनाते समय किया गिरफ्तार, 02 अदद आला नकब टार्च व तीन अदद नाजायज चाकू व रस्सी आदि बरामद।

श्री एस0 आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजीव वाजपेयी पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय के निकट पर्यवेक्षण एवं श्री नवनीत सिंह नायक, क्षेत्राधिकारी पुवायां के नेतृत्व मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान मे थाना खुटार पुलिस को बडी सफलता मिली।

इसी क्रम मे थानाध्यक्ष खुटार जयशंकर सिंह, उ0नि0 रामानंद मिश्रा, उ0नि0 हरेन्द्र सिंह, हे0का0 यशपाल सिंह द्वारा चोरी/मवैशी चोरी की योजना बनाते समय तीन अभियुक्तो क्रमशः 1. आयाज उर्फ छोटे पुत्र उस्मान 2. मारुफ पुत्र अनवार 3. सादान पुत्र नसीर निवासीगण महेशपुर थाना भीरा जनपद खीरी को रात्री 01.30 बजे पुरनपुर रोड से चोरी/मवैशी चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से आलानकब टार्च व तीन अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0सं 64/21 धारा 401 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त शातिर जालसाज महिला सुमन देवी पत्नी स्व0 कमलेश कुमार निवासिनी खुटार को एक लाख रुपये के चोरी के कीमती चार बण्डल कपडो के साथ उसके घर कस्बा खुटार से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.02.2021 को वादी मुकदमा श्री निर्मल पुत्र गोकुल दास निवासी पानसीला थाना नावादीप जिला नादिया प0बंगाल द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 36/21 धारा 379/506 भादवि बनाम सुमन देवी व अन्य पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना व साक्ष्य संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा अभियुक्ता के घर में बतौर किरायेदार रहता था तथा लाकडाउन के दौरान वादिनी के मकान में अपना कपडा कीमत लगभग 05 लाख रुपये अपने किराये के कमरे में बंद करके चला गया था। जब वादी मुकदमा वापस आया तो देखा कि उसके कमरे से समस्त कपडे व समान चोरी हो गये है तो वादी ने मकान मालिक सुमन देवी से अपने कपडे व सामान मांगे गये तो सुमन देवी नें उसका कपडा व सामान देने से मना किया तथा मुकदमे में फसाने की धमकी दी। जिससे डरकर वादी मुकदमा वापस चला गया चूंकि वादी गैर प्रदेश का रहने वाला है इसलिये मकान मालिक सुमन देवी की नियत खराब हो गयी और उसने वादी का समस्त सामान अपने मकान के दुसरे कमरे में ताला लगाकर छिपा दिया तथा शेष कुछ सामान बेच भी दिया। मुखबिर की सूचना व वादी की निशान देही पर आरोपी सुमन देवी के घर से वादी के एक लाख कीमत के कपडे बरामद किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी पहले भी अपने मकान में रह चुके तमाम किरायेदारो के साथ ठगी कर चुकी है किन्तु इसके डर से कोई भी व्यक्ति शिकायत करने थाने नही आया। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

चोरी की योजना बनाते हुये गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. आयाज उर्फ छोटे पुत्र उस्मान निवासी महेशपुर थाना भीरा जनपद खीरी
2. मारुफ पुत्र अनवार निवासी महेशपुर थाना भीरा जनपद खीरी
3. सादान पुत्र नसीर निवासी महेशपुर थाना भीरा जनपद खीरी

अभियुक्तों से बरामद माल

1-02 अदद आलानकब, टार्च व तीन अदद नाजायज चाकू व रस्सी

मु0अ0सं0 36/21 धारा 379/411/506 भादवि की अभियुक्ता (सुमन देवी) से बरामद माल

1-एक लाख रुपये कीमत कपडे बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1-थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह 2-उ0नि0 रामानंद मिश्रा 3-उ0नि0 हरेन्द्र सिंह 4-हे0का0 यशपाल सिंह

5- हे0का0 विजय प्रताप सिंह